

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर

(न्याय निर्णयन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 17/2024 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम)

GCMS NO : 2024/8

अनवान

1. राज्य सरकार जरिये श्री नरेन्द्रसिंह चौहान, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उदयपुर (राज.)

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री रमेश कुमार डांगी पिता श्री देवीलाल डांगी मैसर्स जय भैरव डेयरी प्लोट ने. 204, चाणक्यपुरी से. 4 हिरणमगरी उदयपुर स्थाई पता ग्राम रेला पोस्ट भंभोरा तह. वल्लभनगर मो. 9649281738

—विपक्षी

उपस्थित

1. श्री नरेन्द्र सिंह चौहान, खाद्य सुरक्षा अधिकारी।
2. स्वयं विपक्षी सं. 1।

अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, नियम 2011



●निर्णय●

दिनांक 24-05-2024

राजस्थान सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ5(1)चिस्वा. /गुप-3/2022 दिनांक 02.12.2022 के अनुसरण श्री नरेन्द्रसिंह चौहान, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद में राज्य सरकार है द्वारा उक्त विपक्षी पर सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय करने हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि राज्य सरकार की ओर से वे 03.07.2023 को दोपहर 02.00 पी.एम. वास्ते चेकिंग मैसर्स जय भैरव डेयरी प्लोट ने. 204, चाणक्यपुरी से. 4 हिरणमगरी उदयपुर पर पहुँचा, वहाँ विपक्षी श्री रमेश कुमार डांगी उपस्थित पाये गये, जिन्होंने स्वयं को मैसर्स जय भैरव डेयरी प्लोट ने. 204, चाणक्यपुरी से. 4 हिरणमगरी उदयपुर का विक्रेता होना बताया। विक्रेता से फर्म का अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन मांगा जो उपलब्ध पाया।


न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)



निरीक्षण के समय विक्रेता की डेयरी पर एक स्टील के बड़े टीन(तीन टीनो) में करीब 70 किलोग्राम घी आम जनता को बिक्री वास्ते रखा पाया। सबस्टैण्डर्ड/अनसेफ की शंका होने से आम जनता को बिक्री वास्ते रखे पाये घी में से 800ग्राम घी वास्ते जाँच हेतु एक साफ, सुखी एवं खाली स्टील की भगोनी में वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर V A पर दी। क्रय शुदा घी की कीमत विक्रेता के बताये अनुसार 480 रु. चुका रसीद प्राप्त की।

प्रार्थी ने अपने आवेदन में उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा 800ग्राम घी को विक्रेता तथा गवाहन की उपस्थिति में प्लास्टिक की 4 साफ, सूखे व खाली जारो में बराबर मात्रा (प्रत्येक में करीब 200 ग्राम) में भरकर इनका मूँह ढक्कन से एयरटाइट बंद किया। प्रत्येक नमूना जारों को मोटै व मजबूत कागज में लेपेटकर कागज के दोनो सिरों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया। नमूना पर लेबल चिपकाया व लेबल पर नमूना कोड व क्रमांक, नमूना लेने की दिनांक एवं स्थान, नमूने की किस्म अंकित कर हस्ताक्षर किये एवं विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं नमूना को सील कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लीप नम्बर ए.ए-2325 का एक-एक भाग प्रत्येक नमूनों पर पेंडे से शीर्ष तक चिपका कर सील बंद नमूनों पर खाद्य कारोबारकर्ता के पेपर स्लीप व रेपर पर नियमानुसार क्रॉस हस्ताक्षर कराये एवं नमूने की सील भागो को कब्जे में लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के आउटकवर में सील कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ में फार्म न. 6 की एक प्रति जिस पर नमूना सील अंकित था एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के एक सील बंद भाग को मय फार्म न.6 की प्रतियों के आउटकवर में सील बंदकर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर को जमा कराई व नमूने के चौथे भाग को फार्म न. 6 की प्रति के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/7771 दिनांक 08.08.2023 के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर की रिपोर्ट न. एलएस/571/एक्ट/2023/571 दिनांक 11.07.2023 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उक्त नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। क्योंकि Butyrefractometer Reading at 40°C. 40.0-44.0 होना चाहिए था, कि जगह 46.6 nD-1.45700 पाया गया, Reichert value 24.0 min होना चाहिए था कि जगह 22.67 पाया गया, saponification value 205-235 होना चाहिए था कि जगह 195.68 पाया गया एवं Iodine value 25-38 होना चाहिए था कि जगह 52.20 पाया गया। विपक्षी द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय करने से


न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)



खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/7770 दिनांक 08.08.2023 के द्वारा विक्रेता को धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरुद्ध अपील हेतु रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूनों की पत्रावली अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2024/1700 दिनांक 15.03.2024 द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस को न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। आरोपी का टर्नआवर 12 लाख रुपये वार्षिक से कम है।

कार्मिक (क-4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार हैं, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। सुनवाई हेतु आरोपी स्वयं उपस्थित होकर स्वीकारात्मक जवाब पेश कर कम से कम जुर्माना लगाये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित किया जाने का निवेदन किया। आरोपी द्वारा अपनी बहस में भविष्य में एसी गलती नहीं दोहराने का निवेदन कर कम से कम जुर्माने से दण्डित किया जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा निरीक्षण के समय विक्रेता की डेयरी पर एक स्टील के बड़े टीन(तीन टीनो) में करीब 70 किलोग्राम घी आम जनता को बिक्री वास्ते रखा पाया। इसमें सबस्टेण्डर्ड/अनसेफ की शंका होने से आम जनता को बिक्री वास्ते रखे पाये घी में से 800ग्राम घी वास्ते जाँच हेतु एक साफ, सुखी एवं खाली स्टील की भगोनी में वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर V A पर दी। नियमानुसार सीलबंद कर जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते विश्लेषण प्रेषित किया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के अनुसार सबस्टेण्डर्ड पाया गया। क्योंकि **Butyrefractometer Reading at 40°C. 40.0-44.0** होना चाहिए था, कि जगह **46.6 nD-1.45700** पाया गया, **Reichert value 24.0 min** होना चाहिए था कि जगह **22.67** पाया गया,


न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

saponification value 205-235 होना चाहिए था कि जगह 195.68 पाया गया एवं Iodine value 25-38 होना चाहिए था कि जगह 52.20 पाया गया।

मामले में यह भी कहना उचित होगा कि कोई भी उपभोक्ता उसके स्वास्थ्य लाभ के लिये विश्वास के आधार पर खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता से खाद्य उत्पाद को क्रय कर उसका सेवन/उपयोग करता है एवं प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता का यह दायित्व है कि वह ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुये खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं दिशा निर्देशों की पूर्णतया पालना करे। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 में सबस्टेण्डर्ड के मामलों में अधिकतम राशि 5,00,000/- शास्ति का प्रावधान अंकित है। उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए एवं मामले की प्रकृति को देखते हुए आरोपी अधिकाधिक शास्ति के दण्ड से दंडित किये जाने योग्य है।

आरोपी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन करने पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध कारित होने से आरोपी को कुल राशि ₹1,00,000/- अक्षरों रूपया एक लाख रूपया मात्र के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य में सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थों का निर्माण/विक्रय न करे। विपक्षी अभियुक्त जुर्माना राशि "न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर" के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से एक माह में आवश्यक रूप से जमा करावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
उदयपुर (राज.)